भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2627

दिनांक 11.12.2024 को उत्तर देने के लिए

लिथियम निष्कर्षण

ł2627. श्री आदित्य यादव:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की लिथियम निष्कर्षण और शोधन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): जी, हां। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार को लिथियम सहित 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। खान मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 256.12 हेक्टेयर में फैले कटघोड़ा लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अलावा, लिथियम सहित महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

खान मंत्रालय अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के माध्यम से खनन और धातु विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकीय नवाचार को बढ़ावा दे रहा है जिसमें सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत लिथियम सहित महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण में नवीनतम प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने के उद्देश्य से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर लगी हुई है।

*****